

मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक:- 04/CS/2020/CTD
प्रति,

भोपाल दिनांक:- 07.01.2020

समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश।

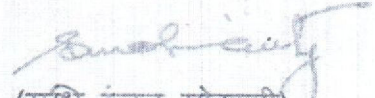
विषय:- दस्तावेजों के पंजीयन पर अवैधानिक प्रतिबंध लगाये जाने बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 110/मु.स./2011, दिनांक 21 जून, 2011

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 34 (3) अंतर्गत पंजीयन अधिकारी किसी दस्तावेज के पंजीयन के पूर्व केवल इस बारे में जांच कर सकता है कि उक्त दस्तावेज को वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया है। जिनके नाम का उल्लेख दस्तावेज में है और इस बारे में संतुष्टि के पश्चात् उक्त दस्तावेज को पंजीकृत करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है।

2/ मध्यप्रदेश पंजीयन नियम, 1942 के नियम 19 में पूर्ति न होने पर दस्तावेज वापिसी एवं नियम 35 में पूर्ति न होने पर दस्तावेज के पंजीयन से इंकार का प्रावधान है, किन्तु उक्त प्रावधानों के विपरीत समय-समय पर कतिपय जिला कलेक्टरों/डिप्टी कलेक्टरों द्वारा विशिष्ट भूमियों के विक्रय संबंधी दस्तावेज के पंजीयन पर रोक लगाई जाती रही है, जिसे उच्च न्यायालय में मामला याचिका के माध्यम से उठाये जाने पर न्यायालय के द्वारा इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश को विभिन्न निर्णयों में पूर्णतः अवैधानिक माना है।

3/ पूर्व में भी वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को पंजीयन प्रक्रिया संबंधी वैधानिक प्रावधान एवं न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया गया है, इसके बावजूद कतिपय अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर प्रतिबंध लगाये जाने के अवैधानिक प्रशासनिक आदेश जारी किये जा रहे हैं और इन आदेशों की अवहेलना होने पर उप पंजीयकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

4/ इस परिप्रेक्ष्य में कृपया दस्तावेजों की रजिस्ट्रियों पर कोई विधि विरुद्ध प्रतिबंध नहीं लगाएं और यदि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध प्रभावशील हो तो उसे तत्काल वापिस लिया जाये।

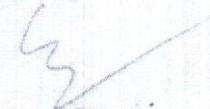

(सुधि रंजन मोहन्ती)
मुख्य सचिव, 06/01/2020
मध्यप्रदेश शासन

पृ० क्रमांक:- 04/CS/2020/CTD

भोपाल, दिनांक:- 07/01/2020

प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
3. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय